भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
शिमला -171001 (हि.प्र.)

एफ आई.जे.एस.सी./15/2018 दिनांक 16/08/2018

सेवा में

1. परियोजना समन्वयक, के.आ.अनु.सं., शिमला ।
2. संयुक्त निदेशक, के.आ.अनु.सं. परिसर, मोदीपुरम।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, के.आ.अनु.सं., शिमला ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, के.आ.अनु.सं., शिमला ।
5. सभी केन्द्राध्यक्ष, के.आ.अनु.के., जालन्धर/ग्वालियर/पटना/उटटी/शिलौंग/कुफरी।
6. श्री अश्वनी गुप्ता, व॰ लिपिक व सचिव, संयुक्त कर्मचारी परिषद(कर्मचारी पक्ष) के.आ.अनु.सं., शिमला
7. संयुक्त कर्मचारी परिषद् के सभी नामित सदस्यः डॉ ब्रजेश सिंह, प्रधान वैज्ञानिक व अध्यक्ष, फसल दैहिकी, जीव रसायन व फसलोत्तर तकनीकी संभाग/ श्री रत्नेश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, के.आ.अनु.सं., शिमला / श्री जसपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, के.आ. अनु. सं. क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम/ श्री संदीप सिंह डुडी, प्रशासनिक अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰ शिमला।
8. विशेष आमंत्रित सदस्य: श्री नरेश शर्मा, तकनीकी अधिकारी/ श्री सचिन कंवर, प्रवर लिपिक के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला
9. संयुक्त कर्मचारी परिषद् के सभी चयनित सदस्यः (उनके नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से) सर्वश्री नरेश चन्द शर्मा, व. तकनीकी सहायक/ डी.पी. गौतम, शीश राम ठाकुर, तकनीकी अधिकारी/ श्रीमति श्याम लता बेक्टा, सहायक/ श्री कन्हैया प्रसाद, एस॰ एस॰ एस॰, के.आ.अनु.सं., शिमला। श्री वीरेंद्र सिंह, एस॰ एस॰ एस॰, के॰ आ॰ अ॰ के॰, ग्वालियर।
10. संभागाध्यक्ष, फसल दैहिकी, जीव रसायन व फसलोत्तर तकनीकी/सामाजिक विज्ञान/फसल सुधार/फसल उत्पादन/बीज तकनीकी/पौध संरक्षण संभाग/प्रभारी लोअर लैव/ प्रभारी राजभाषा/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्था.-I, स्था.-II, बिल एवं कैश, वर्क एंड कन्ट्रक्ट तथा भण्डार, के.आ. अन. सं., शिमला।
11. प्रभारी, अभियंत्रण अनुभाग/पुस्तकालय/ पी.एम.ई. कक्ष/ ऐ.के.एम.यू. कक्ष/कैन्टीन, के.आ. अन.सं., शिमला।
12. निदेशक महोदय /मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय के निजी सविच, के.आ.अनु.सं., शिमला।

विषयः संस्थान की संयुक्त कर्मचारी परिषद् की बैठक की कार्यवाही का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 30 जुलाई 2018 को आयोजित संस्थान की 15वीं संयुक्त कर्मचारी परिषद् की दुसरी बैठक की कार्यवाही अग्रेषित की जा रही है । सभी केद्राध्यक्षों / संभागाध्यक्षों / अनुभागाध्यक्षों/ प्रभारियों से अनुरोध है कि वह इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल कारवाई करने की कृपा करें तथा तदोपरान्त सचिव, संयुक्त कर्मचारी परिषद् कार्यालय पक्ष को की गई कारवाई (action taken report) 15.09.2018 तक भिजवाने की कृपा करें ।

यह भी सूचित करना है कि IJSC की अगली बैठक सितंबर महीने के आखरी सप्ताह में शिमला में आयोजित करने का प्रस्ताव है। अतः इस बैठक के लिए समय रहते अजेंडा आईटमम भी भेजने की कृपा करें ।

धन्यवाद ।

भवदीय

16/08/2018

(जोगिन्दर सिंह ठाकुर)
स.प्र. अधि.(स्था.I) एवं सदस्य सचिव (कार्यालय पक्ष)

संलग्न उपरोक्त

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 30.7.2018 को आयोजित संस्थान की 15वीं संयुक्त कर्मचारी परिषद (आई. जे. एस. सी.) की दूसरी बैठक का कार्यवृत

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के निदेशक तथा संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डा. एस. के. चक्रबर्ती की अध्यक्षता में संस्थान के मुख्यालय में दिनांक 30.7.2018 को संस्थान की 15वीं संयुक्त कर्मचारी परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन किया । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे ।

1. श्री रत्नेश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
2. श्री जसपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, के. आ. अ. सं. के,मोदीपुरम सदस्य (कार्यालय पक्ष)
3. श्री संदीप सिंह डुडी, प्रशासनिक अधिकारी, के. आ. अ. सं. शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
4. डा. ब्रजेश सिंह, अध्यक्ष CP, B & PHT Divn.के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
5. श्री सी.पी शर्मा, कार्यकारी वि. एव. ले. अ., के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
6. श्री नरेश शर्मा, तकनीकी अधिकारी, के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (विशेष आमंत्रित)
7. श्री सचिन कंवर, प्रवर लिपिक, के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (विशेष आमंत्रित)
8. श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, स. प्र. अ., के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य सचिव (कार्यालय पक्ष)
9. श्री अश्वनी गुप्ता, व. लिपिक, के. आ. अ. सं., शिमला सचिव (कर्मचारी पक्ष)
10. श्रीमती श्याम लता बेक्टा, सहायक,के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
11. श्री नरेश चंद शर्मा, व. तक. स. के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (स.स.क.प.)व के.स.क.प. (क. प.)
12. श्री धर्म प्रकाश गौतम, तकनीकी अधिकारी, के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
13. श्री शीश राम ठाकुर, तकनीकी अधिकारी, के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
14. श्री कन्हैया प्रसाद, एस. एस. एस., के. आ. अ. सं., शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)

बैठक के आरम्भ में श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, सदस्य सचिव कार्यालय पक्ष ने संस्थान के निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यालय एवं कर्मचारी पक्ष के सदस्यों का अभिनन्दन किया । तदोपरांत उन्होंने संस्थान के निदेशक एंवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डा. एस. के. चक्रबर्ती से अनुरोध किया कि वह बैठक को संबोधित करें ।

समिति के अध्यक्ष डा. एस. के. चक्रबर्ती ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने संस्थान मे हुई Fire Mock drill तथा Fire safety demonstation की सराहना की। अध्यक्ष महोदय ने संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के कर्मचारी पक्ष के ऊटी दौरे को भी सराहा। इसी क्रम को जारी रखते हुए आशा व्यक्त की कि सभी कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए संस्थान के उत्थान में पूर्ण सहयोग देते रहेंगे ।

अपने अध्यक्षीय भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कार्यालय पक्ष के सचिव से कहा कि वह पिछली बैठक में लिए गए निर्णयो की कारवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

इसी बीच श्री नरेश चंद शर्मा (कर्मचारी पक्ष) ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरांत उन्होंने CJSC के सचिव श्री दीपक कौल के हाल ही में संस्थान के दौरे के दौरान पूर्ण सहयोग के लिए निदेशक महोदय का आभार व्यक्त किया तथा आशा व्यक्त की कि हमेशा ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा । कर्मचारी पक्ष ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया।

तदोपरांत श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, सदस्य सचिव कार्यालय पक्ष ने मुख्यालय मे 28 मार्च 2018 को संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पर हर पक्ष के अधिकारियों / कर्मचारियों ने संतोष व्यक्त किया। कुछ प्रकरणों जिस पर कार्रवाई पूर्ण नही हो सकी थी, का वृतांत निम्न प्रकार है।

1. <u>प्रशासनिक कर्मचारियों के कार्य मे फेरबदल ।</u>

चर्चा के बाद निदेशक महोदय ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को कारवाई करने की सलाह दी ।

कार्रवाई: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/स॰ प्रशासनिक अधिकारी (स्था -1)

2. <u>जीपीएफ को ऑनलाइन करने संबंधित</u>

चर्चा के बाद इस संबंध में निदेशक महोदय ने कारवाई की सलाह दी । ।

कार्रवाई: सी॰पी॰ शर्मा/ शशि रावत/संदीप सिंह डुड्डी

3. <u>सचिव, आईजेएससी (एसएस) को प्रदान किए जाने वाले परिपत्र / महत्वपूर्ण आदेश</u>

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समय-समय पर परिषद/संस्थान द्वारा जारी किए गए सेवा शर्तों, सेवा मामलों और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित परिपत्र / आदेश इत्यादि की प्रतियों सूचना के लिए सचिव, आईजेएससी (एस० एस०) को भी दी जाये।

कार्रवाई : सभी संभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष)

4. <u>एस०बी०आई० के काउंटर के सर्वर का खराब रहना</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि एस०बी०आई० के काउंटर का सर्वर प्राय: डाउन/खराब रहता है इस कारण कर्मचारियों व अन्य लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया कि मामले को उचित कारवाई हेतु एस०बी०आई० के अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये ।

कार्रवाई: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ प्र० अ०/स०प्र०अ०(स्था.-I)

तदोपरांत नए मुद्दों पर चर्चा /विचार-विमर्श हेतु श्री अश्वनी गुप्ता, सचिव (कर्मचारी पक्ष), संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद से आग्रह किया गया। श्री गुप्ता ने निम्न प्रकार से नए मुद्दे एक-एक करके चर्चा /विचार-विमर्श हेतु उठाए।

1. <u>ऊटी केंद्र में ए.एम.ए. को अधिकृत करने से संबंधित।</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि ऊटी केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के ईलाज करवाने के लिए कोई भी ए.एम.ए. को अधिकृत नहीं किया गया है इस पर अध्यक्ष महोदय ने कर्मचारियों की मांग को उचित ठहराते हुए केंद्राध्यक्ष ऊटी को इस बारे प्रस्ताव भेजने की सलाह दी। यह भी सलाह दी गई कि यदि भा.कृ.अनु.प. का ऊटी केन्द्र के पास में कोई संस्थान / केन्द्र है जहॉ ए.एम.ए. है, उक्त लाभ देने की कार्रवाई करने हेतु संदर्भित ए.एम.ए. के आदेश मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करें।

कार्रवाई : केंद्राध्यक्ष ऊटी

2. <u>ऊटी केंद्र में कालोनी व ऑफिस में व्हाईट वाश (white wash) करने के संबंध में</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि ऊटी केंद्र में पिछले कई साल से कालोनी व ऑफिस में व्हाईट वाश (white wash) नहीं हुआ है। कालौनी व ऑफिस की हालत खराब है। स्टाफ की बात सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने केंद्राध्यक्ष ऊटी केंद्र को इस बारे मे प्रस्ताव/estimate देने को कहा।

कार्रवाई : केंद्राध्यक्ष ऊटी

3. <u>ऊटी केंद्र में सफाई कार्य के लिए ऑउटसोर्स पर्सन (outsource person) की आवश्यकता</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि ऊटी केंद्र पर सफाई के कार्य हेतु ऑउटसोर्स कर्मचारी को दिया जाए ताकि स्वच्छता बनी रहे।

कार्यालय पक्ष ने कहा कि ऊटी केंद्र के लिए ऑउटसोर्स कर्मचारी रखने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकि है और प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जा रहा है।

4. <u>ठेकेदारों के भुगतान में देरी।</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि ऊटी केंद्र में ठेकेदारों का भुगतान देरी से हो रहा है। इस प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय कहा कि बजट न होने कि वज़ह से देरी हो सकती है । अतः मद को ड्रॉप किया गया।

5. <u>ठेका कर्मचारी की भर्ती केंद्र स्तर पर करने के संबंध में ।</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि आउटसोर्स का ठेका मुख्यालय से होता है जिस कारण केंद्र को qualified person नहीं मिल पाते हैं और उन्हें केंद्र के हिसाब से वेतन भी नहीं मिल पाता है। वेतन कम होने की वजह से वे कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करते हैं। उटी में डी.सी. रेट जयादाहै,लेकिन उटी केनद्र में outsorurce function को wages उस रेट से कम मिलता है। स्टाफ की बात सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय का कहना था कि आउटसोर्स का ठेका केंद्र से करना संभव नहीं है। यदि outsource person का wages Derate अधिक है तो wages की प्रतिलिपि मुख्यालय को आगामी कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

कार्रवाई : केंद्राध्यक्ष ऊटी

6. <u>ऊटी केंद्र में स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रायल में relaxation के संबंध में।</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा की हार्वेस्ट के समय स्पोर्ट्स के ट्रायल करवाये जाते हैं जिस कारण केंद्राध्यक्ष स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रायल के लिए नहीं भेज पाते, क्योंकि ऊटी केंद्र से आने-जाने में बहुत समय लग जाता है। चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है । अतः मद को ड्रॉप किया गया है।

7. <u>बैस्ट वर्कर (Best worker) अवार्ड्स के संबंध में।</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि संस्थान के जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को बैस्ट वर्कर Best worker अवार्ड्ज से नवाजा जाता है उन कर्मचारियों/अधिकारियों के सर्विस बुक मे एंट्री/दर्ज नहीं की जा रही है। अनुरोध किया गया कि ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की सर्विस बुक में एंट्री की जानी चाहिए और उसकी कॉपी पर्सनल फ़ाइल में भी लगनी चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति जताई।

कार्रवाई : प्रभारी पी. एम. ई. / स. प्र. अ. (स्था-1)

8. <u>सी.पी.आर.आई. का साईन बोर्ड न होने की वजह से संस्थान में बाहर से आने वाले आगन्तुक (visitors) को मुश्किलों का सामना करना पडता है ।</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि बैमलोई चौक पर कोई भी सी.पी.आर.आई. का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से बाहर से आने वाले आगन्तुकों (visitors) को बहुत मुशिकलों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यालय पक्ष का कहना था कि सी.पी.आर.आई. का साइन बोर्ड पहले ही लगा हुआ था । सडक चौडी होने तक इसे उतारा गया है कार्य पूर्ण होने पर लगा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति जताई।

कार्रवाई :इंजीन्यरिंग सेक्शन

9. <u>ठेका कर्मचारी के अवकाश पर जाने के संबंध में।</u>

स्टाफ पक्ष का कहना था कि ठेका कर्मचारी जब अवकाश पर जाते हैं तो वह अपनी मर्जी से अन्य दूसरे व्यक्ति को बाहर से लाकर अपनी जगह पर रख देते है, जो संस्थान के हित में नहीं है।

कार्यालय पक्ष का कहना था कि ठेका कर्मचारी ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है। ऐसे कर्मचारी का अवकाश पर जाने के कारण कार्य वाधित न हो किसी दूसरे व्यक्ति को ठेकेदार जिस अधिकारी के साथ कार्य करता है, अनुमति से लगाता है।

कार्रवाई : स. प्र. अ. (वर्क्स एंड कांट्रेक्ट)

10. <u>स्पोर्ट्स पर्सन को समय पर सही सुविधा न मिलने के संबंध में।</u>

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि स्पोर्ट्स पर्सन को समय पर स्पोर्ट्स किट नहीं दी जाती है तथा जो किट दी जाती है वह अलग अलग रंग की होती है और रहने की व्यवस्था भी सही नहीं होती।

इस प्रकरण पर पूरे तथ्यों व साक्ष्यों सहित चर्चा हुई और पूर्व में किए गए प्रयासों से सभी को अवगत करवाया गया, जिस पर सभी ने संतोष प्रकट किया। यह फैसला लिया गया कि यदि मार्केट से किट समय पर खरीदना सम्भव नहीं है तो किट Gem से खरीदने के प्रयास किए जाए।

कार्रवाई :चेयरमैन स्पोर्ट्स

11. <u>सैलरी स्लिप न देने के संबंध में।</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा की संस्थान में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को हर महीने उन्हें वेतन के दिन सैलरी स्लिप दी जाती रही है, परन्तु अब नहीं दी जा रही है।

कार्यालय पक्ष का कहना था कि यह सारे आंकडे ERP में उपलब्ध है। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया की कुशल सहायी कर्मचारी को सैलरी स्लिप पहले की तरह दी जाए अथवा संबंधित नियंत्रण अधिकारी उपलब्ध करवांए।

कार्रवाई : स॰ प्र॰ अ॰ (बिल एण्ड कैश)

12. <u>फॉलोअप-एक्शन कमेटी (Follow up Action committee) का गठन करने के संबंध में।</u>

स्टाफ पक्ष ने समिति के समक्ष यह बात रखी कि मीटिंग के दौरान जो भी निर्णय लिये जाते हैं उन्हें देरी से लागू किया जा रहा है। निर्णय को लागू करने के लिए फॉलोअप-एक्शन कमेटी (Follow up Action committee) का गठन होना चाहिए । चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने कर्मचारी पक्ष को यह विश्वास दिलाया कि सभी निर्णय जल्द लागू होंगे। अतः मद को ड्रॉप किया गया ।

13. <u>संस्थान में खाली पडे सरकारी आवास देरी से आबंटित करने के संबंध में।</u>

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि संस्थान में सरकारी आवास लम्बे समय तक खाली पड़े रहते है तथा उन्हें समय पर पात्र कर्मचारियों को आबंटित नहीं किया जाता है। कार्यालय पक्ष ने यह बताया कि सफेदी व maintenance का कार्य पूर्ण होते ही आवास आबंटित कर दिए जाते है। अतः मद को ड्रॉप किया गया।

अन्त में कर्मचारी पक्ष के सचिव श्री अश्वनी गुप्ता ने समिति के सदस्यों का बैठक में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। कर्मचारी पक्ष ने समिति के अध्यक्ष को सभी मदों पर उचित निर्णय लेने के लिए भी धन्यवाद दिया और भविष्य में उम्मीद व्यक्त की कि कर्मचारी हित मे समय पर करवाई होती रहेगी।

श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, सदस्य सचिव कार्यालय पक्ष ने भी संस्थान के निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यालय एवं कर्मचारी पक्ष के सदस्यो का धन्यवाद किया ।

अध्यक्ष व सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

सचिव, सं० सं० क० प०(कर्मचारी पक्ष)　　　　सचिव, सं० सं० क० प०(कार्यालय पक्ष)